

निर्णय स्थायीय सहायक कलेक्टर फारूक बड़ीसादड़ी  
आर ए एस

भी जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर ए एस उपस्थित अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं 204/18  
1. वजैराम पिता वेणीराम जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी मृतक के वजाय  
अमृतलाल (पु०) गोपीलाल (पु०) कंजारी बाई (पु०) जदी बाई (पु०) जगना बाई (पु०), जसोदा बाई(पु०),  
भागवती (पत्नी) मादीगण

11 वजाय 11

- 1 मांगीलाल पिता वेणीराम जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 2 कंजारीबाई पिता वेणीराम जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 3 अमरलाल पिता चतुरभुज जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 4 बदीलाल पिता चतुरभुज जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 5 चम्पालाल पिता चतुरभुज जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 6 कंकु बाई पु० चतुरभुज जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 7 कंचन बाई पु० चतुरभुज जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 8 लक्ष्मणलाल पिता गंवरलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 9 मोहनलाल पिता गंवरलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 10 श्रीमती सुन्दर बाई पु० गंवरलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 11 श्रीमती सुखी पु० गंवरलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 12 मू चरन् बेना गंवरलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 13 प्रेमशंकर पिता किशनलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 14 अर्जुन पिता किशनलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 15 रुकमणी बेना किशनलाल जाति ब्राहमण नि० सरथला तह० बड़ीसादड़ी
- 16 तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

साक्षित मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हुआ है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

जा सरथला की आगजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -  
1- वजैराम पिता वेणीराम ब्राहमण नि० सरथला मृतक के वजाय - अमृतराम गोपीलाल पिता वजैराम मु० भागवती पत्नी स्व० वजैराम सा देह

आ.न.	रकबा	लगान
961/1	0.64	8.32
1047/1	0.33	0.66
2	0.97	8.98

2- मांगीलाल पिता वेणीराम जाति ब्राहमण नि० सरथला  
आ.न. रकबा लगान  
23/1 0.32 3.52  
1 0.32 3.52

धनराज रमेशचन्द्र दिनेशचन्द्र सोसरबाई पिता उखरलाल उंकारीबाई पत्नी स्व० उम्वरलाल दलीचन्द पिता कालुराम बदीलाल चम्पालाल कंचनबाई पिता चतुरभुज ब्राहमण सा० देह

आ.न.	रकबा	लगान
961 मी	0.65	8.45
1047 मी	0.32	0.64
23 मी	0.21	2.31
784	0.02	-
787	0.11	-
5	1.31	11.40



इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 22.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया। मोहर

जितेन्द्र कुमार पाण्डे  
आर ए एस